वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-10001

No. 5-1(17)/2008-PD

Dated: 11.10.2012

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Directors/Heads of all
National Labs./Instts. of CSIR

Sub: **Clarification on the admissibility of House Rent Allowance (HRA) during the Child Care Leave (CCL)-reg.**

Sir,

I am directed to forward herewith the Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. 2(9)/2012-E.II(B) dated 27.08.2012 on the subject cited above for information, guidance and compliance.

Yours faithfully

(D Vijayalakshmi)
Deputy Secretary

Encl: As above.

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.,
2. US to DG, CSIR/US to JS (Admn.)
3. PA to FA, CSIR/PS to CVO, CSIR
4. Consultant (Legal), CSIR
5. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
6. Head, URDIP/IPMD/HRDC/PPD/ISTAD/USD/HRDG.
7. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
8. Head, RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
9. Secretary, JCM (Staff Side), Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road, Hyderabad-5000 07 (Andhra Pradesh)
10. Head, IT Division with the request to make this circular available on the website.

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

No. 2(9)/2012-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, 27th August, 2012.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Clarification on the admissibility of House Rent Allowance (HRA) during the Child Care Leave (CCL) - Reg.**

The undersigned is directed to refer to Para 6 (a)(i) of this Ministry's O.M. No.2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965, as amended from time to time, on regulation of House Rent Allowance during Leave which stipulates that a Government servant is entitled to draw HRA........ during total leave of all kinds not exceeding 180 days and the first 180 days of the leave if the actual duration of leave exceeds that period; but does not include terminal leave, ... It has also been stipulated, thereunder, that drawal of the allowance (HRA) during the period of leave in excess of first 180 day availed of on grounds other than medical grounds mentioned in sub-para (ii), shall be subject to furnishing of the certificate prescribed in Para 8(d) of the O.M. ibid.

2. This Ministry has been receiving representations from the female employees that certain Central Government Ministries/Department/Establishments are not allowing HRA during the Child Care Leave (CCL), especially when taken in continuation of Maternity Leave of 180 days. The reason for their reluctance may be the fact that CCL has been first introduced on the recommendations of the 6th Central Pay Commission, though the Department of Personnel & Training (DoPT), vide their O.M. No.13018/1/2010-Estt.(Leave) dated 07.09.2010, inter-alia, reiterated that the leave (CCL) is to be treated like Earned Leave and sanctioned as such.

3. It is, therefore, clarified that the 'total leave of all kinds' as referred to in Para 6(a) of this Ministry's O.M. dated 27.11.65 ibid, will include Child Care Leave for regulating grant of HRA during leave, subject to fulfiment of all other conditions stipulated thereuder, from time to time. It is also clarified that drawal of HRA during leave (including CCL) in excess of first 180 days, if otherwise admissible, shall be subject to furnishing of the certificate prescribed in Para 8(d).

4. These orders take effect from 01.09.2008. HRA during CCL, if not paid to women employees who are entitled to it as per this clarification, may be reconsidered, if so requested by the concerned employee.

5. Hindi version is also attached.

(Anil Sharma)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to: C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

सं. 2(9)/2012-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः बाल देखभाल छुट्टी (सीसीएल) के दौरान मकान किराए भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को छुट्टी के दौरान मकान किराए भत्ते के नियमन के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 27.11.1965 के का.ज्ञा. सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 6 क(i) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जो स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारी सभी प्रकार की कुल 180 दिन से अनधिक छुट्टियों और यदि छुट्टी की वास्तविक अवधि इससे अधिक होती है, तो प्रथम 180 दिन की छुट्टियों के दौरान मकान किराया भत्ता .... प्राप्त करने का हकदार है; किंतु इसमें सेवांत छुट्टी शामिल नहीं हैं ....। इसके अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया है कि उप पैरा (ii) में उल्लिखित चिकित्सा कारणों से भिन्न आधार पर प्राप्त की गई प्रथम 180 दिन से अधिक की छुट्टी की अवधि के दौरान भत्ते (मकान किराए भत्ते) का आहरण उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8 (घ) में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगा ।

2. इस मंत्रालय को महिला कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि केन्द्र सरकार के कुछेक मंत्रालय/ विभाग/ संस्थापनाएं बाल देखभाल छुट्टी के दौरान मकान किराए भत्ते की अनुमति नहीं दे रहे हैं, विशेषतः जब ये छुट्टियाँ 180 दिन की प्रसूती छुट्टियों के क्रम में ली जाती हैं। उनकी इस असहमति का कारण यह तथ्य हो सकता है कि बाल देखभाल छुट्टी की शुरूआत छठे कैंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर पहली बार की गई है जबकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 7/9/2010 के अपने का. ज्ञा. सं. 13018/1/2010- स्था. (छुट्टी) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह दोहराया है कि इस छुट्टी (बाल देखभाल छुट्टी) को अर्जित अवकाश की तरह माना जाए और इसी प्रकार स्वीकृत किया जाए।

3. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मंत्रालय के दिनांक 27/11/1965 के का. ज्ञा. के पैरा 6 (क) में यथा उल्लिखित 'सभी प्रकार की कुल छुट्टियों' में, छुट्टी के दौरान मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के विनियमन के लिए बाल देखभाल छुट्टी शामिल होगी जो समय-समय पर इसके तहत विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम 180 दिन से अधिक की छुट्टी (बाल देखभाल छुट्टी सहित) के दौरान मकान किराए भत्ते का आहरण, यदि अन्यथा स्वीकार्य हो, पैरा 8(घ) में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगा।

4. ये आदेश दिनांक 1/9/2008 से प्रभावी होते हैं। बाल देखभाल छुट्टी के दौरान यदि महिला कर्मचारियों को जो इस स्पष्टीकरण के अनुसार मकान किराये भत्ते की पात्र हैं, इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित कर्मचारी के इस प्रकार के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाए ।

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः-

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।